



राजस्थान									
रिक्तियों	सामान्य	सामान्य भूतपूर्व सैनिक	ओ.बी. सी.	ओ.बी. सी. भूतपूर्व सैनिक	अ.जा	अ.जा भूतपूर्व सैनिक	अ.ज. जा	अ.ज. जा भूतपूर्व सैनिक	कुल
पुरुष	234	26	94	10	79	09	60	07	519
महिला	04	..	01	..	01	..	01	..	07
बैकलॉग रिक्तियों									
पुरुष	..	..	06	..	21	..	..	..	27
महिला	..	..	06	..	..	..	..	..	06
	<p>टिप्पणी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>रिक्तियों की संख्या को बिना कोई कारण बताए घटाया/ बढ़ाया जा सकता है ।</li> <li>योग्य भूतपूर्व सैनिक न मिलने की स्थिति में उनके आरक्षित पदों पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को भर्ती कर लिया जायेगा ।</li> </ol>								
6.	सभी चयनित उम्मीदवारों पर दिनांक 1/1/2004 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई अंशदायी पेशन योजना प्रभावी होगी ।								
7.	भूतपूर्व सैनिक एक प्रशिक्षित सिपाही होता है, उसके लिए केवल लिखित टैस्ट एवं चिकित्सा फिटनेस टैस्ट उसकी चिकित्सा श्रेणी ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार के आदेशानुसार शारीरिक दक्षता एवं शिक्षा में निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जाएगी। उपरी आयु सीमा में सेना की सेवा को जोड़ते हुए 03 वर्ष की छूट है। हॉलाकि, सेवा में व्यवधान 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगा।								
8.	के0रि0पु0बल कार्मिकों के आश्रित/बच्चे भी भर्ती में शामिल हो सकते है। उनको भी अन्य सामान्य अर्थार्थियों की तरह से ही परीक्षा देनी होगी। के0रि0पु0बल के कार्मिकों के आश्रित/बच्चे या तो अपने गृह राज्य से या फिर जहाँ उनके माता-पिता सेवा कर रहे है वहाँ से आवेदन कर सकते है ।								
9.	भर्ती हेतु योग्यता मापदण्ड/शर्तें								
ए)	आयु	दिनांक 01.08.2010 को उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए							
	छूट :-								
	अ)	अनु0 जाति/अनु0जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट और अ0पि0वर्ग0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 03 साल की छूट देय होगी।							
ब)	वर्ष 1984 के दंगों में तथा 2002 में गुजरात राज्य के साम्प्रदायिक दंगों मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों/बच्चों के लिए भी 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। (इस संबंध में निर्देश पुस्तिका के पैरा-2 (दो) (सी) का सन्दर्भ ग्रहण करें)								
बी)	शैक्षिक योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या 10 वीं पास							

सी)	शारीरिक मापदंड													
	उँचाई	पुरुष उम्मीदवारों के लिए - 170 सेमी महिला उम्मीदवारों के लिए - 157 सेमी												
	सीना	(केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए) बिना फुलाए- 80 सेमी, फुलाए हुए - 85 सेमी ( न्यूनतम फुलाव - 05 सेमी )												
	छूट	गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, नागालैन्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शारीरिक मापदण्ड (उँचाई एवं सीना) में आवश्यक छूट प्रदान की जायेगी (इस संबंध में निर्देश पुस्तिका के पैरा-2 (चार) (बी), (सी) एवं (डी) का सन्दर्भ ग्रहण करें)												
	वजन	चिकित्सा स्तर के अनुसार उँचाई और आयु के अनुपात में ।												
डी)	चिकित्सा मानदंड (इस संबंध में निर्देश पुस्तिका के पैरा-2 (पाँच) (ए) एवं (बी) का सन्दर्भ ग्रहण करें)													
10	<p><u>चयन प्रक्रिया</u> जिन उम्मीदवारों के आवेदन पत्र दिए गए मानको के अनुरूप पाए जाएंगे उन्हें भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती की तिथि व स्थान की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश कार्ड द्वारा दे दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों की सूची आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्रों पर भी लगाई जायेगी । भर्ती हेतु निम्नलिखित चरणों के गुजरना होगा:</p> <p>क) उँचाई बार</p> <p>ख) दौड़</p> <p>ग) उम्मीदवारों की पहचान की जाँच</p> <p>घ) कागजातों की जाँच पड़ताल</p> <p>ङ) शारीरिक मापदण्ड परीक्षा</p> <p>च) शारीरिक दक्षता परीक्षा</p> <p>छ) लिखित परीक्षा</p> <p>ज) चिकित्सा परीक्षा</p> <p>चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए निर्देश पुस्तिका के पैरा-3 का अवलोकन करें)</p>													
11	<p>योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र निम्नलिखित डाकघरों से दिनांक 26/07/2010 से 14/08/2010 तक रू0 40/- (पोस्टल हेन्डलिंग चार्ज) भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, सामान्य एवं ओ.बी.सी. श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ई-भुगतान चार्ज रू0 50/- डाक विभाग में जमा कराना होगा ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क.सं0</th> <th>राज्य</th> <th>डाक घरों के नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>दिल्ली</td> <td>नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, दिल्ली, सरोजनी नगर, लोधी रोड, संसद मार्ग, रमेश नगर, अशोक विहार, कृष्णा नगर, नारायणा, कालकाजी एवं झिलमिल</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>हरियाणा</td> <td>अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगाँव, हिसार, बहादुरगढ़, झज्जार, जिन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नुह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत एवं यमुना नगर</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>राजस्थान</td> <td>अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, मिलवाड़ा, बिकानेर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धोलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमान नगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावार, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, कनरौली, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोन्क, उदयपुर एवं प्रतापगढ़</td> </tr> </tbody> </table>		क.सं0	राज्य	डाक घरों के नाम	01	दिल्ली	नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, दिल्ली, सरोजनी नगर, लोधी रोड, संसद मार्ग, रमेश नगर, अशोक विहार, कृष्णा नगर, नारायणा, कालकाजी एवं झिलमिल	02	हरियाणा	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगाँव, हिसार, बहादुरगढ़, झज्जार, जिन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नुह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत एवं यमुना नगर	03	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, मिलवाड़ा, बिकानेर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धोलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमान नगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावार, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, कनरौली, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोन्क, उदयपुर एवं प्रतापगढ़
क.सं0	राज्य	डाक घरों के नाम												
01	दिल्ली	नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, दिल्ली, सरोजनी नगर, लोधी रोड, संसद मार्ग, रमेश नगर, अशोक विहार, कृष्णा नगर, नारायणा, कालकाजी एवं झिलमिल												
02	हरियाणा	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगाँव, हिसार, बहादुरगढ़, झज्जार, जिन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नुह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत एवं यमुना नगर												
03	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, मिलवाड़ा, बिकानेर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धोलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमान नगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावार, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, कनरौली, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोन्क, उदयपुर एवं प्रतापगढ़												

<p>सामान्य एवं ओ.बी.सी. श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क रू0 50/- (रूपये पचास मात्र) अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जहाँ पर ई-भुगतान सेवा उपलब्ध हो, में ई-भुगतान के जरिए जमा करानी होगी तथा अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में ई-भुगतान रसीद संख्या लिखनी होगी । ऐसा न करने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा । एस0सी0 एवं एस0टी0 समुदाय के उम्मीदवार तथा भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन शुल्क/फीस नहीं लिया जाएगा। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा । उपरोक्त वर्णित डाकघरों से ओ.एम.आर. आवेदन पत्र प्राप्त करने में यदि कोई असुविधा होती है तो उम्मीदवार तत्काल संबंधित पोस्ट मास्टर से सम्पर्क करें । उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपने राज्य के निम्नलिखित आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्र में निर्धारित लिफाफे में डालकर दिनांक 25/08/2010 तक कार्यालय बन्द होने से पहले स्पीड पोस्ट/ रजिस्ट्री अथवा हाथों-हाथ भेज सकते हैं । आवेदन पत्र भेजने/ जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन पत्र एवं अधूरे भेजे गए आवेदन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा उन्हें रद्द कर दिया जायेगा ।</p>			
क.सं0	राज्य	आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्र	
01	दिल्ली	पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केरिपुबल, झारोदा कलॉ, नई दिल्ली-110072	
02	हरियाणा	पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केरिपुबल, कादरपुर, गुड़गाँव	
03	राजस्थान	पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र-एक केरिपुबल, गोल्फ कोर्स रोड अजमेर - 305007	
12	<p>शिक्षा प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है । ये प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्रों के साथ भर्ती प्रक्रिया के समय कागजातों की जाँच पड़ताल के दौरान प्रस्तुत करने होंगे जैसा कि निर्देश पुस्तिका के पैरा-8 (तीन) में वर्णित है ।</p>		
13	<p>उम्मीदवार जिस राज्य/संघ शासित प्रदेश का है उसे उसी राज्य के कोटे से भर्ती किया जाएगा, उसे इसके लिए संबंधित राज्य/ संघ शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसकी अधिवासिता प्रदर्शित हो रही हो ।</p>		
14	<p>निम्नलिखित हेल्प लाईन नम्बरों के साथ-साथ उम्मीदवारों की सहायता हेतु केरिपुबल की वेबसाइट भी खोली गई है:</p> <p>अ) वेबसाईट : <a href="http://www.crp.gov.in">www.crp.gov.in</a> – recruitment – Ct/GD 2010. or <a href="http://www.crp.gov.in/recruitment">www.crp.gov.in/recruitment</a></p> <p>ब) दूरभाष नं0 : 0120 3800900</p> <p>स) एस.एम.एस. नं0 : CRPF56767</p> <p>इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार सैक्टर/ आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्रों (ए.आर.सी.) के निम्नलिखित नम्बर/ई-मेल पर भी सम्पर्क कर सकते हैं:-</p>		
सैक्टर/ए.आर.सी.	फोन नम्बर	मोबाइल नं0	ई-मेल
उत्तरीसैक्टर, केरिपुबल	011-26104912	-	igp03ns@rediffmail.com
ग्रुप केन्द्र दिल्ली	011-25315373	9899468544	gcnewdelhi@rediffmail.com
ग्रुप केन्द्र गुड़गाँव	0124-2266457	9999916055	adiggcggn@rediffmail.com
ग्रुप केन्द्र-1 अजमेर	0145-2670429	8058779345	Adiggc_1@sancharnet.in

15	सामान्य शर्तें
1	केरिपुबल में नियुक्त होने पर, उम्मीदवार केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत शासित होंगे ।
2	परीक्षा/भर्ती/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
3	उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि व लिखित परीक्षा हेतु पैन / पेंसिल अपने साथ लेकर आए ।
4	उम्मीदवार को भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
5	उम्मीदवार अपने खर्च/रिश्क पर परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6	सभी योग्य उम्मीदवारों को भर्ती की तिथि व स्थान की जानकारी डाक द्वारा दे दी जाएगी ।
7	अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को छाती एक्स-रे और पैथोलॉजी टैस्ट के आधार पर ही नियुक्ति दी जायेगी ।
8	उम्मीदवार की नियुक्ति होने के बाद उसको केरिपुबल0 के प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण करवाया जाएगा ।
9	केरिपुबल में चयन/नियुक्त होने के उपरान्त यदि किसी उम्मीदवार को कोई तथ्य छुपाने का दोषी पाया जायेगा तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी ।
10	भर्ती के लिये कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।
11	लिखित परीक्षा का परिणाम केरिपुबल की वेबसाइट पर जारी करने के साथ-साथ संबंधित भर्ती केन्द्र पर भी लगाया जायेगा ।
12	भू0पू0 के0रि0पु0बल के सदस्यों को नए उम्मीदवार के तौर पर लिया जाएगा और उनको भू0पू0 सैनिकों जैसी छूट नहीं प्रदान की जाएगी ।

हस्ता0 12.07.10

(के0एम0 अय्यर)

पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा)